न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 139/2020 निर्णय दिनांक :– 24.12.2020

इनवानी प्रार्थना पत्रः–

हरिराम पुत्र किसना जाति घोंसी निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक।

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक।

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :–
श्री प्रेम चन्द जैन
अधिवक्ता प्रार्थी

पेरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 रे0 एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 4072, 4073, 47074, 4076, 4075, 4077, 4075/4577 वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। जिसका एक मात्र खातेदार व काबिज काश्तकार है। प्रार्थी का मौके पर सम्पूर्ण उक्त रकबे के अनुसार भूमि पर वर्षो से लेकर आज तक साबिक व हाल के मुताबिक शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमियों का साबिक शीट मे तरमीम सही रूप से सही की हुई थी परन्तु भू प्रबन्ध के दौरान बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त भूमि उक्त हाल खसरा नम्बर की तरमीम को बदलकर रकबा कम दर्शा दिया एवं भूमि की तरमीम को साबिका शीट की तरह हाल शीट मे नहीं किया गया जो सेटलमेंट कर्मचारियों एवं अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र मे नही था। राजस्व रिकार्ड तथा नक्शा ट्रेस से भू प्रबन्ध के दौरान पूर्ववतः इन्द्राज तथा तरमीम किया जाना चाहिये था। मौके पर प्रार्थी का रकबा नक्शा ट्रेस गलत बना तैयार करने से रकबा भी कम हो गया जबकि प्रार्थी साबिका रकबे के मुताबिक व साबिक शीट के मुताबिक आज भी मौके पर प्रार्थी ही काबिज है। साबिका शीट के अनुरूप हाल शीट दुरूस्त किये जाने योग्य है। उक्त संशोधन किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थी एक अनपढ़ व ग्रामीण काश्तकार व्यक्ति है। कब्जे के अनुसार भू प्रबन्ध से पूर्व की तरमीम के अनुरूप हाल नक्शा ट्रेस से संधोधन करवाने

का अधिकार है। उक्त त्रुटि एक महज राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शा बनाते समय की हुई है जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यासंगत है।

प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:– चरण प्रथम आंशिक स्वीकार है। वादी आंशिक रूप से खातेदार दर्ज वादी कब्जेकाश्त स्वयं सिद्ध करे। है। बिन्दू 2:–प्रार्थी कब्जेकाश्त के सबूत खसरा गिरदावरी स्वयं पेश करे। बिन्दू स्वीकार नहीं है। चरण 3 न्यायालय से सम्बन्धित है। चरण 4 व 5 न्यायालय से सम्बन्धित है।

,पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि साबिक नक्शा शीट व हाल नक्शा ट्रेस को देखने से स्पष्ट है कि हाल नक्शा ट्रेस में क्षैत्रफल कम दिखाया गया है। जबकि प्रार्थी जमाबन्दी रकबे के अनुसार काबिज काश्त है। अतः नक्शा शीट में लिपिकीय भूल को प्रार्थी भुगत रहा है जिसको दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है।

पेरोकार सरकार ने अपने जबाब को दोहराते हुए कथन किया कि साबिका खसरा नम्बर 2005 रकबा 8 बिसवा के हाल ख. नं. 4073 रकबा 0.64 है0 में से 8 बिसवा पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेंर का मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन जारी है । अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरो में से खसरा नम्बर 4073 रकबा 0.64 है0 में 8 बिसवा पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल का स्थगन जारी है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र पर गौर किया जाना उचित नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली